प्रत्याशियों के लिये
ई.वी.एम. पुस्तिका

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मुख्य चुनाव पदाधिकारी
(समस्त प्रदेश एवं केन्द्र शासित क्षेत्र)

विषय : प्रत्याशियों के लिये ई.वी.एम. पुस्तिका (ब्रोशर) के संबंध में.

महोदय,

मुझे प्रत्याशियों के लिये ई.वी.एम. (ब्रोशर) पुस्तिका अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है। जो कि प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्य की रूपरेखा के साथ ई.वी.एम. के प्रयोग से संबंधित है। आपसे निवेदन है कि इसे सभी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवायें और पुस्तिका पर्याप्त प्रतियां चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद दी जाये।

भवदीय,
दिलीप के. वर्मा
अपर सचिव.

प्रत्याशियों के लिये ई.वी.एम. पुस्तिका

भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले सोलह साल से पच्हत्तर से अधिक आम चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 और 2009 के संसदीय चुनाव पूरी तरह से ई.वी.एम. से करवाये गये थे। आयोग ने निर्णय लिया है कि वर्तमान लोक सभा चुनाव 2014 ई.वी.एम. पर ही करवाये जायेंगे। इस पुस्तिका का उद्देश्य राजनीतिज्ञ दलों, प्रत्याशियों और अन्य व्यक्ति जो ई.वी.एम. के कार्य में लगे हैं को इससे अवगत कराना है और आयोग द्वारा प्रशासनिक सुरक्षा उपायों को भी ध्यान में रखना है। इस पुस्तिका में प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों से ई.वी.एम. के उपयोग के संबंध में अधिकार एवं कर्तव्य को भी रेखांकित किया है।

ई. वी. एम. का स्वरूप :

ई.वी.एम. में एक कंट्रोल यूनिट (सी. यू.) और बैलेट यूनिट (बी.यू.) और जोड़ने वाली केबल होती है। सी. यू. पीठासीन अधिकारी के पास रहती है. बी. यू. मतदान कोष्ठ में रहता है। सी. यू. और बी. यू. एक लंबी केबल से जुड़े रहते है। मतपत्र बी. यू. पर चुनाव के लिये फिक्स रहता है।

ई. वी. एम. द्वारा मतदान की प्रक्रिया :

मतदाता की पहचान होने और अमिट स्याही लगाने के पश्चात् वोटर को मतदान कोष्ठ में भेजा जाता है। पीठासीन अधिकारी मतदान सुनिश्चित करने के लिये सी. यू. की मतदान बटन को दबाता है इसके पश्चात् मतदाता अपने पसंद के प्रत्याशी के सामने की बटन को दबाकर अपने मत को रिकार्ड करता है एक बार मत रिकार्ड हो जाता है तो एक लाल चमक प्रत्याशी के नाम के सामने; जिसको मत दिया है और एक तेज आवाज (बीप) सुनाई देती है। इसके पश्चात् बी. यू. निष्क्रिय हो जाता है जब तक दोबारा पीठासीन अधिकारी इसे मतदान के लिये तैयार नहीं करता। इस प्रकार मतदाता एक से अधिक वोट नहीं दे सकता।

ई. वी. एम. में तकनीकी सुरक्षा विशेषताएं :

निम्नलिखित कारणों से ई. वी. एम. एक उच्च सुरक्षित मशीन है (हाईली सेक्यूर्ड मशीन) है।

(a) ई. वी. एम. में माइक्रो कण्ट्रोलर चिप एक बार उपयोग लिये ही प्रोग्राम होता है।

(b) चिप में साफ्टवेयर कोड न तो पढ़ा जा सकता है न ही ओवर राईट किया जा सकता है।

(c) साफ्टवेयर को बी.ई.एल. एवं ई.सी.आई.एल. द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है।

(d) ई. वी. एम. स्टैण्ड अलोन प्रकार की मशीन है जो किसी भी नेटवर्क से रिमोट द्वारा सुगम नहीं है।

(e) इन मशीनों में किसी आपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

प्रत्याशियों और उनके एजेन्टों की भूमिका और प्रशासनिक उपाय :

आयोग ने ई. वी. एम. के लिये विस्तृत सुरक्षा उपाय दिये है। राजनीतिज्ञ दलों, प्रत्याशियों और उनके ऐजेंटों की इन उपायों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो पूर्णतः पारदर्शी है।

(a) संपूर्ण भौतिक सुरक्षा :

ई. वी. एम. विशेष सुरक्षा के साथ वेयरहाउस ((गोदाम) में रखी जाती है। इन भण्डारगृहों में मात्र एक दरवाजा रहता है और इसके अलावा प्रवेश का कोई दूसरा साधन नहीं रहता है। जिसमें खिड़कियां और रोशनदान भी शामिल हैं। दरवाजे में द्विस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहती है। इस ताले की एक चाबी भण्डारगृह प्रभारी के तथा दूसरी चाबी एस. डी. एम. स्तर के अधिकारी के पास रहती है. भण्डारगृह को राजनीतिज्ञ दलों को चौबीस घंटे पूर्व लिखित में सूचना देने के बाद ही खोला जा सकता है। भण्डार गृह चौबीस घंटे पुलिस की निगरानी में रहता है।

(b) प्रथम स्तरीय रोक (एफ. एल. सी.) :

प्रत्येक ई. वी. एम. निर्माताओं के यंत्रियों द्वारा प्रत्येक निर्वाचन के पहले राजनीतिज्ञ दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जांची जाती है। इस प्रक्रिया को ई. वी. एम. की एफ. एल. सी. कहते हैं। एफ. एल. सी. के दौरान बी. ई. एल. और ई. सी. आई. एल. के यंत्री मशीन की सफाई करते हैं तथा इसकी पूर्ण जांच करते है। वे यह भी प्रमाण देते है कि ई. वी. एम. के सभी पूर्जे मूल हैं। ई. वी. एम. की चैकिंग के बाद विशेष रूप से डिजाईन की गई गुलाबी पेपर सील जिसमें एक विशिष्ट सरल क्रमांक रहता है उसे नियंत्रण यूनिट के ऊपर इस प्रकार से लपेट दिया जाता है कि यूनिट को बिना सील तोड़े खोला नहीं जा सकता है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर गुलाबी पेपर सील, पर ले लिये जाते है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा 5% ई. व्ही. एम. अनायास चुनी जाती है और इनमें 1000 मत डाल कर छद्म मतदान किया जाता है। छद्म निर्वाचन का परिणाम और संबंधित प्रिन्ट आऊट जिसमें सभी मतों का विवरण होता है वह दलों के प्रतिनिधियों को बताई जाती है। यह गुलाबी पेपर सील सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा बनाई जाती है और इसका विशिष्ट क्रमांक रहता है। संपूर्ण प्रक्रिया की विडियोग्राफी होती है।

(c) प्रत्याशी सेट :

मतपत्र के निश्चित होने के पश्चात् प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार प्रत्याशियों के सेट करने की प्रक्रिया को ई. वी. एम. पर संधारित किया जाता है। यह सब प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होता है। इस प्रक्रिया में बैलेट यूनिट पर मतपत्र चिपकाया जाता है तथा ई. वी. एम. को कुल प्रत्याशियों की संख्या जो चुनाव लड़ रहे हैं तथा एक नोटा के लिये अतिरिक्त बटन के हिसाब से सेट किया जाता है। इस समय

पुन: दलों के प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा 5% ई. वी. एम. का अनायास चुनाव कर 1000 मत डाल कर छद्म निर्वाचन किया जाता है। छद्म निर्वाचन का परिणाम तथा क्रमिक प्रिन्ट आऊट प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों को बताया जाता है। गुलाबी पेपर सील जिसका निर्माण सिक्यूरिटी प्रेस नासिक द्वारा किया जाता है एवं जिस पर विशिष्ट सरल क्रमांक रहता है। उसे बैलेट यूनिट पर इस तरह से लपेटा जाता है कि यूनिट को बिना सील तोड़े खोलना संभव नहीं होता है। प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर गुलाबी पेपर सील पर लिये जाते हैं। संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाती है।

(d) मतदान दिवस पर छद्म वोटिंग :

वास्तविक मतदान के पूर्व, एक ओर छद्म वोटिंग प्रत्येक मतदान केन्द्र में ई. वी. एम. पर संधारित की जाती है। इसमें कम से कम 50 मत डाले जाते हैं। यह प्रक्रिया मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में पूरी की जाती है। छद्म निर्वाचन के परिणाम को अभिकर्ताओं को बताया जाता है। नियंत्रण यूनिट को पेपर सील तथा धागे की सील द्वारा सीलबंद कर दिया जाता है, परन्तु इससे पहले छद्म वोटिंग के आंकड़ों को मिटा दिया जाता है। वास्तविक मतदान इस प्रक्रिया के पश्चात् ही प्रारंभ किया जाता है तथा पीठासीन अधिकारी छद्म वोटिंग के बारे में एक प्रमाण-पत्र भी जारी करता है। यदि किसी कारण से मतदान के दौरान ई.वी.एम. को बदला जाता है तब भी नयी ई.वी.एम. में भी छद्म वोटिंग की जाती है।

(e) पोलिंग की समाप्ति :

जब अंतिम वोटर अपना वोट डाल देता है तो ई. वी. एम. में वोटिंग 'क्लोस' का बटन दबाने के साथ बंद कर दी जाती है। इस बटन को दबाने के बाद कोई वोट नहीं डाला जा सकता। इसके पश्चात् ई. वी. एम. को उनके संबंधित बक्से में रखकर धागे की सील द्वारा सील बंद किया जाता है। प्रत्याशी या उनके अधिकर्ताओं को इस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति रहती है।

(f) ई. वी. एम. का परिवहन एवं भण्डारण :

मतदान केन्द्रों से प्राप्ति केन्द्र तक मतदान में उपयोग लाई गई ई. वी. एम. को पुलिस अभिरक्षा में लाया जाता है। प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ता इन ई. वी. एम. के साथ चल सकते हैं. तत्पश्चात् इन ई. वी. एम. को विशेष रूप से बनाये गये दृढ़ कक्ष में रख दिया जाता है. ई. वी. एम. रखने के पश्चात् इस दृढ़ कक्ष को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशी तथा राजनीतिज्ञ दलों को इस कक्ष के ताले के ऊपर अपनी सील लगाने की अनुमति रहती है। सशस्त्र पुलिस चौबीस घंटे दृढ़ कक्ष की चौकसी करती है तथा चौबीस घन्टे यह कक्ष सी. सी. टी. वी. के दायरे में रहता है. राजनीतिज्ञ दल तथा उनके प्रत्याशी एवं अभिकर्ताओं को यह अनुमति रहती है कि वे भी चाहें वो दृढ़ कक्ष पर निरंतर चौकसी रख सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी को राजनीतिज्ञ दलों और उनके प्रतिनिधियों को इस कार्य हेतु पर्याप्त सुविधाएं देनी पड़ती हैं। दृढ़ कक्ष जब एक बार सील हो जाता है तब वह गणना वाले दिन ही प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाता है।

(g) ई. वी. एम. में लगाने वाली विभिन्न सील

1. एफ. एल. सी. के समय सी. यू. पर गुलाबी पेपर सील
2. प्रत्याशी—सेट के समय—

(i) 'प्रत्याशी सेट' के लिये धागे की सील तथा सी. यू. को शक्ति (पावर पैक) पैक (बैटरी) करना। चुनाव लड़ने वले प्रत्याशियों की संख्या सेट करने के तथा बैटरी लगने के पश्चात्।

(ii) धागे की सील मत पत्र कागज स्क्रीन बी. यू. में मतपत्र लगने के पश्चात्

(iii) इसके पश्चात् बी. यू. के पते के टैग दो धागे की सील के साथ

(iv) बी. यू. के ऊपर गुलाबी पेपर की सील

3. **मतदान केन्द्र में छद्म-चुनाव के पश्चात्**

(i) कंट्रोल यूनिट के परिणाम सेक्शन के लिये हरे रंग के कागज की सील मतदान एजेन्टों एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(ii) परिणाम सेक्शन के आंतरिक दरवाजे के लिये धागे की सील स्पेशल टैग के साथ

(iii) परिणाम सेक्शन एवं कंट्रोल यूनिट के निचले भाग को ढांकती हुई बाहरी पेपर की स्ट्रिप सील

(iv) निचले भाग के लिये धागे की सील एड्रेस (पते) टैग के साथ

मतों की गिनती—एक के बाद एक सील की सम्पूर्णता की जांच तथा सील के यूनिक नम्बर निरीक्षण के पश्चात् मतों की गणना वाले दिन ई. वी. एम. को गणना टेबल पर लाया जाता है तथा 'परिणाम' बटन जो सी. यू. पर है. उसे दबाकर परिणाम सुनिश्चित किया जाता है। परिणाम सी. यू. के परिणाम बटन दबाकर परिणाम प्रदर्शित होता है। यह परिणाम प्रत्याशियों के गणना (एजेंटों) अभिकर्ता को उनकी संतुष्टि के लिये दिखा दिया जाता है. इसके पश्चात् गणना पर्यवेक्षकर्ता ई. वी. एम. के अनुसार परिणाम को फार्म-17 सी पर लिखता है तथा उसे रिटर्निंग अधिकारी को दौर के हिसाब से संकलन के लिये भेजता है।

(h) ई. वी.एम. का रेंडमाइजेशन :

कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रयोग करने के लिये ई. वी. एम. का दोबार रेंडमाइजेशन किया जाता है. पहला रेंडमाइजेशन जिला में विधान सभा क्षेत्रों के लिये उपलब्ध ई. वी. एम. के एलोकेट करने के लिये किया जाता है। दूसरा रेंडमाइजेशन विधान सभा क्षेत्र में विशेष मतदान केन्द्र के लिये उपलब्ध ई. वी. एम. को एलोकेट करने के लिये किया जाता है।

(i) विविध पारदर्शिता उपाय :

(i) ई. वी. एम. पर सभी प्रक्रियाएं जैसे एफ. एल. सी., रेंडमाइजेशन, प्रत्याशी सेट, मॉक पोल, सीलिंग, परिवहन, स्टोरेज और मतगणना राजनीतिक दलों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की जाती है।

(ii) ई. वी. एम. की पहली रेंडमाइजेशन और उसके विधान सभा क्षेत्र के एलोकेशन की सूची और दूसरे रेंडमाइजेशन की मतदान केन्द्र को एलोकेट की गई ई. वी. एम. की सूची सभी प्रत्याशियों को दी जाती है।

(iii) सी. यू. के पिंक पेपर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते हैं. प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर बी. यू. के पिंक पेपर सील पर प्राप्त किये जाते हैं.

(iv) मतगणना के समय मिलान के लिये प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के लिये बी.यू. और सी.यू. के पिंक पेपर सील का यूनीक नम्बर दिया जाता है।

(v) सी.यू. को सील करने वाले पेपर की बाहरी पट्टी और हरा सील पेपर पर पोलिंग एजेन्टों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते हैं। उनके नम्बर पोलिंग एजेन्टों को भी दिये जाते हैं और मतगणना के समय मिलान भी किया जा सकता है।

(vi) छद्म निर्वाचन (मॉक पोल) के समय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को वोट डालने की अनुमति रहती है। छद्म निर्वाचन का परिणाम क्रमिक प्रिंट के साथ उनको दिखाया जाता है।

(j) ई.वी.एम. की खराबी (मालफंशनिंग) के प्रकरण में कार्यवाही:

मतदान के समय ई.वी.एम. के खराब होने के प्रकरण में ई.वी.एम. को सुरक्षित ई.वी.एम. से बदला जाता है. बी.यू. और सी.यू. दोनों बदले जाते हैं और नई ई.वी.एम. पर मतदान शुरू करने के पहले छद्म मतदान किया जाता है. ई.वी.एम. का आई.डी. नम्बर की सूचना प्रत्याशियों और उनके नई प्रतिनिधियों को दी जाती है। बदलने के पहले ई.वी.एम.में पड़े मतों की गणना की जा सकती है। मत पड़े दोनों ई.वी.एम. को मतगणना के दिन गणना मेज पर लाया जाता है और दोनों में पड़े मतों की गणना की जाती है। मतगणना के समय मशीन खराब होने के प्रकरण में यदि सी.यू. के डिसप्ले करने पर परिणाम नहीं दर्शाता है, सहायक डिसप्ले यूनिट को परिणाम देखने के लिये उपयोग किया जाता है। सहायक यूनिट पर परिणाम न दिखाने पर, प्रिन्टर पर प्रिन्ट आउट निकाला जा सकता है।

शाकेमुभो--908—उमुनिपमप्रभो--20-3-14—1,000.